फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

कैलाश बनाम कन्हैयालाल (वगैरा)

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111-128 नं० 23 सन 2021

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
8-2-21	वाद / प्रार्थनापत्र वास्ते जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे । पत्रावली दिनांक 9.3.21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर माण्डल	
9-3-21	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 30-4-21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
30-4-21	पत्रावली पेश हुई, अधिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 18-5-21 को पेश हो।	
18-5-21	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 29-6-21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
29-6-21	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 30-7-21 को पेश हो।	
10.11.21	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प माण्डल मे पेश हुई, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए एवं पटवार हल्का पटवारी माण्डल	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:36:00 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी[illegible] अहकाम जो [illegible] हुक्म की तामी[illegible] में जारी हुए
	की रिपोर्ट पेश हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। डॉ. [illegible] उपखण्ड [illegible] मण्डल प्रशासन गाँवों के [illegible] अभियान 2021	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:36:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 23/21 प्रा.पत्र

1- श्री कैलाश S/o श्री कालुराम ब्राह्मण निवासी- माण्डल त० माण्डल --प्रार्थी

बनाम

1- श्री कन्हैयालाल S/o श्री कालुराम ब्राह्मण निवासी- माण्डल त० माण्डल (राज.) --विपक्षीगण
(मुख्तारखास ... सहमत)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश:: दिनांक 10.11.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.........माण्डल.........पटवार हल्का.........माण्डल.........तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं.........2932.........कुल किता ....01......... रकबा.........0.7208.........हेक्टेयर.........—.........स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है । जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक.........8.2.21.........को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी करने का अधिकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अत: इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.........माण्डल......... पटवार हल्का.........माण्डल.........तहसील मांडल में स्थित आराजी नं.........2932......... ....रकबा.........0.7208.........हेक्टेयर.........—......... ....कुल किता.........01......... भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है । पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक.........माण्डल.........को ....500/-......... रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें । कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व वर्तमान की स्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें । ... नहीं की जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:36:00 IST
Reason: SelfAttested

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021